

**कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर**

रिलायंस जियो  
इंफो०लि०

पत्रांक- 57492/1463/11/11/09/110 770 90 150 (15/16)

दिनांक- 29. 2. 2016

विषय- रोड कटिंग की अनुमति के सम्बन्ध में।

आपके पत्रांक RJIL/OFC/ROW/INTRACITY/FETP/04 दिनांक 27.02.2016 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पालिका के अवर अभियन्ता से दिये गये स्थलों की लम्बाई 2350 मी० की अनुमति आगणन पत्रांक RJIL/OFC/ROW/INTRACITY/FETP/04 का मु० 1668960.00 का तैयार किया गया है। जिसे पालिका कोष में जमा करा दें, धनराशि जमा करने के उपरान्त ही अनुमति प्रदान की जाएगी।

(123)  
अधिकांसी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद,  
फतेहपुर।

**कार्यालय नगर पालिका परिषद, फतेहपुर।**

पत्रांक- 6926/2064/निर्माण/न० 770 90 150 (16/17)

दिनांक- 22.3.17

जी.एफ. प्रथम एवं द्वितीय तल,  
सालीटियर, सी-बी, एफी अहमद क्विडवर्डनगर,  
अपोजिट फन पब्लिक मार्ग, गोहा नगर, लखनऊ,

विषय- गैसर्स रिलायंस जियो इन्फोकोम लिमिटेड द्वारा 4<sup>th</sup> ग्राउन्ड वेस्ट गारट रथापित करने व ऑप्टिकल फाईबर केबिल डिप्लॉय करने का सम्बन्ध में।

महोदय,  
उपरोक्त विषयक आपका पत्र दिनांक 02-02-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने में अहम महत्त्व है। आपका पत्र पत्रांक 6926/2064/निर्माण/न० 770 90 150 (16/17) दिनांक 29.2.2016 के अन्तर्गत 4 स्थलों पर 4<sup>th</sup> ग्राउन्ड वेस्ट गारट की स्थापना किए की मांग का प्रतिक्रमा में स्तरीय निरीक्षणोपरान्त चयनित गैसरेड वेस्ट गारट स्थापित किए जाने वाले स्थलों तथा पालिका स्थापना सम्बन्धी वार्ड अनुसार समस्त प्रस्तावित जीवाणु गैसरेड पर वार्षिक निरीक्षण की गणना के आधार पर निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई-

क्र०सं०	कुल जीबीएम की संख्या	कुल आच्छादित क्षेत्रफल	वर्षिक किराया	जमागत धनराशि
1	06	36.00	2339.00	28000.00

उपरोक्तनुसार प्रस्तावित जीबीएम स्थलों का आच्छादित कुल क्षेत्रफल 36.00 वर्गमी० का प्रत्येक स्थल के पृथक-पृथक भूमिदार पर 28000.00/- वार्षिक किराया प्रतिवर्ष अग्रिम जमा कराते हुए फर्म को जीबीएम की स्थापना किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी-

1. प्रभावी भूमि दर दिनांक 12.10.2016 के सर्किल रेट के आधार पर किये गये वार्षिक रेट में 10% वृद्धि इस प्रकार भूमि दर प्रतिवर्ष निर्धारित की जाये, कि भविष्य में जिलाधिकारी फतेहपुर के द्वारा दरों में वृद्धि का प्रभावी निधि से वाली हुयी दरों पर वार्षिक रेट का आकलन किया जायेगा।
  2. मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 286/सी-9-2014-1613/12 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 11.03.2014 क्रमांक-4(9) के अनुसार नगर लाना हेतु कम्पनी का रु० 7000/- प्रति मीटर की दर से जो कि 36.00 मीटर आकलन के अनुसार जमागत रु० 28000.00/- कम्पनी को नगर पालिका परिषद, फतेहपुर के कोष में जमा करना होगा।
  3. मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 286/सी-9-2014-1613/12 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 11.03.2014 क्रमांक-4(9) में आबर हेडक्वार्टर का पाल स्थापित करने हेतु कम्पनी का रु० 1500/- प्रति मीटर की दर से जमागत रु० 54000.00/- का पाल स्थापित करने हेतु कम्पनी का रु० 6000/- प्रति मीटर के आकार में ग्राउन्ड वेस्ट गारट स्थापना के लिए भूमि का वार्षिक किराया 2339.00 प्रति वर्ग मीटर के रूप में अग्रिम जमा किया जायेगा तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष किराये की दरों में वधवा शासन द्वारा संशोधन किया जायेगा उसी के अनुसार वडा किराया जमा करना होगा अथवा 10% प्रतिवर्ष वृद्धि के साथ किराया जमा करना होगा।
  4. मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या- 286/सी-9-2014-1613/12 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 11.03.2014 से दी गयी शर्तों का पूर्णतः पालन का निमत कम्पनी को करना होगा।
  5. भविष्य में आबर का सम्बन्ध में शासन से प्राप्त होने वाले आदेश तथा उचित सम्बन्ध में पालिका द्वारा लगे होने वाली उपविधियों तथा शर्तों पर भी प्रभावी शर्तों तथा वार्षिक प्रभावी होने वाले शर्तों के अन्तर्गत ही अग्रिम की कम्पनी का करना होगा।
  6. शासनादेश संख्या- 286/सी-9-2014-1613/12 के अन्तर्गत 3 मिनट 30 सेकंड का समय 4 मिनट का समय का सुन्दरीकरण कम्पनी को निश्चित करारा होगा।
- अतः सहमति की दशा में पालिका से अनुबन्ध का रूप में उपरोक्तनुसार वार्षिक भूमिदार जमा कर जिससे ग्राउन्ड वेस्ट स्थापना हेतु आवश्यक पत्र निर्माण किया जा सके।

Receipt  
8/29/17/2017

गावदीय  
अधिकांसी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद,  
फतेहपुर।